

2-6-17

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर के कार्य विभाजन
आदेश क्रमांक 651/रीडर/17 दिनांक 27.12.2016
के द्वारा पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय सहायक
कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर में प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज
रजिस्टर किया जावे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक... 19-6-17... को न्याय आधके द्वारा
अभियान कम्प.....
Gh

19-6-17

इनवानी प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
स्थल-.....
वकील वादी प्रतिवादी तथा पक्षकारान उपस्थित/
अनुपस्थित। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से
पक्षकारान के मध्य राजीनामा व मेलजोल के
प्रयास किये गये। मेलजोल के प्रयासों के बावजूद भी
प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं हो सका।
अतः पत्रावली पूर्व नियत दिनांक 16-8-17 को पेश हो।
Gr -

14-7-17

Notepress
14/7/17

पत्रावली वकील कार्दे के मांखिफ
निषेधन पर आप उपजाई पेशी से पूर्व
तलब होकर पेशा हुई। वकील कार्दे ने
प्रकरण को Not Press में खारीत किये
जाने का निषेध किया। वकील कार्दे
के निषेधन पर तकरा Not-Press में
खारीत किया जासा है। पत्रावली के सख
शुमार होकर तकरा तफमील खारिज
होकर है।

यह निर्णय आप दिनांक 14-7-17
को सपरख लोक अदालत कैम्प - श्रीम-
धोपुर में खुले न्यायालय में सुनाया गया

Gr -
(ब्रह्म लाल पाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)